न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा।

अनुमति वाद संख्या 442/2015–16 न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लोहरदगा

आदेश

आवेदिका नूतन नूर तिग्गा पिता –स्व0 खिरूस्तो राय तिग्गा साकीन –मुन्दो, थाना– लोहरदगा, जिला–लोहरदगा के द्वारा सी0एन0टी0एक्ट की धारा 46 के अन्तर्गत आवेदन पत्र दिया गया है कि उन्हें मौजा हरमू के निम्नलिखित जमीन को बिकी करने की अनुमति प्रदान की जाय।

आवेदित भूमि की विवरणी:–

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता संख्या	प्लॉट सं0	रकबा ए0 में
हरमू	लोहरदगा	196	167/100	144/153	033½ कडी0

आवेदिका से प्राप्त आवेदन पत्र को ग्रहण करते हुये संबंधित मौजा के नाम आम ईश्तिहार नोटिस जारी किया गया कि उक्त जमीन को **श्रीमती अनिमा उरांव पति श्री दिलीप उरांव, ग्राम खखपरता** के साथ बिकी करने के विरूद्ध यदि कसी को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवेदन पत्र न्यायालय में उपस्थित होकर दाखिल करें। साथ ही आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र की प्रति भेजते हुये अंचल अधिकारी, लोहरदगा से जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति आवेदन पत्र दर्ज नहीं हुआ।

अंचल अधिकारी, लोहरदगा ने अपने पत्रांक 531 दिनांक 16.05.2016 द्वारा अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया है। अंचल अधिकारी, लोहरदगा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका के पास कुल 033½ कडी0 जमीन है एवं जमीन बिकी करने बाद आवेदित खाता में भूमि नही बचता है। जमीन का वर्त्तमान बिकी मूल्य 50000.00/–रू0 प्रति डी0 है। आवेदिका मकान बनाने हेतु जमीन बिकी करना चाहते हैं। आवेदिका का खरीदगी जमीन है। आवेदिका खतियानी रैयत नही है। आवेदिका का खतियानी रैयत से क्रेता – विक्रेता का संबंध है। सरकारी रसीद नूतन नूर तिग्गा पिता स्व0 खिस्तोराम तिग्गा के नाम से कटती है। विकेता एवं केता एक ही थाना–लोहरदगा के निवासी हैं। जमीन का श्रेणी दोन ।। है।

इस कम में आवेदिका का भी ब्यान लिया गया। आवेदिका के द्वारा बतलाया गया कि मौजा हरमू के अन्तर्गत खाता नं0 167/100, प्लॉट नं0 144/153, में से रकबा 033½ कडी0 जमीन को **श्रीमति अनिमा उरांव पति–श्री दिलीप उरांव ग्राम–खखपरता थाना–लोहरदगा, जिला–लोहरदगा** के साथ जमीन बिकी कर रहे हैं। आवेदिका मकान बनाने हेतु जमीन बिकी करना चाहते हैं। आवेदिका का खरीदगी जमीन है। आवेदिका खतियानी रैयत नही है। आवेदिका का खतियानी रैयत से क्रेता – विक्रेता का संबंध है। सरकारी रसीद नूतन नूर तिग्गा पिता स्व0 खिस्तोराम तिग्गा के नाम से कटती है। जमीन आवेदिका का दखल कब्जा में है जमीन पर कोई विवाद नहीं है। जमीन बिक्री करने पर किसी का दबाव नहीं है एवं किसी को कोई आपत्ति नहीं है।